

12-17 hrs.

RELIGIOUS TRUSTS BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with further consideration of the motion moved by Shi Jagannatha Rao on the 28th August, 1961.

The question is:

“That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the better supervision and administration of certain religious trusts be further extended upto the last day of the next session.”

The motion was adopted.

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL*

The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954.

Mr. Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954.”

The motion was adopted.

Shri Lal Bahadur Shastri: Sir, I introduce† the Bill.

12:19 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1961-62—contd.

Mr. Speaker: The House will proceed with further discussion and

voting on the Demands for Supplementary Grants in respect of the Budget (General) for 1961-62.

Shri Assar may continue his speech.

श्री आसार (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, विदेशों में हमारे देश के जो अन्वै-सेडज आदि हैं, उनके द्वारा वहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ जो बर्ताव होता है, उसके बारे में मैं कल बता रहा था। विदेशों में अपने दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के सिलेक्शन के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। उन कर्मचारियों और अधिकारियों का सिलेक्शन करते समय यह देखना आवश्यक है कि वे विदेशों में जा कर हमारे देश की कीर्ति बढ़ायें। मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि हमारे नजदीक के देश नेपाल में, जो कि हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे एक कल्चरल आफिसर ने जो कृत्य किये थे उससे हमारे देश की कीर्ति बढ़ी नहीं है, बल्कि उससे हमारे देश के बारे में वहाँ पर घृणा का निर्माण हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब जब हम अपने अधिकारियों का सिलेक्शन करें, तब तब इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर लिया करें कि उसको सिलेक्ट करने से हमारे देश की कीर्ति बढ़ेगी या घटेगी। हम उसका ही सिलेक्शन करें जो हमारे देश की कीर्ति को बढ़ाने में सहायक हो।

सिक्किम के बारे में भी कुछ बातें बतलाई गई हैं। हम सिक्किम को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। उसको सहायता देना आवश्यक भी है। लेकिन हमें इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि उसको विकास के लिये हम जो धन दे रहे हैं या जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उस धन-राशि का उपयोग योग्य तरीके से ही रहा है या नहीं। मुझे बताया गया है कि सिक्किम

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 29-8-61.

†Introduced with the recommendation of the President.